112

संख्या-1216/एक-10-2024-33(3)2023

प्रेषक,

राम केवल,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

राहत आयुक्त,

उ0प्र0, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10 लखनऊः दिनांक 24 जुलाई, 2024

विषयः-राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा इन्टर्नशिप प्रोग्राम, राहत बाणी केन्द्र एवं राहत गुरूकुलम पर होने वाले व्यय तथा पूर्व स्वीकृत वेबसाईट डवलपमेन्ट एवं संचालन, फेमिली आईडी अथेन्टीकेशन, एन0आई0सी0 को क्लाउड सर्विस हेतु मांगी गयी धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5747/रा0आ0का0/कन्ट्रोलरूम पत्रा0/2024-25, दिनांक 18 जून, 2024, पत्र संख्या-5793/रा0आ0का0/कन्ट्रोलरूम पत्रा0/2024-25, दिनांक 26 जून, 2024, पत्र संख्या-5748/रा0आ0का0/कन्ट्रोलरूम पत्रा0/2024-25, दिनांक 18 जून, 2024, पत्र संख्या-5788/रा0आ0का0/कन्ट्रोलरूम पत्रा0/2024-25, दिनांक 26 जून, 2024 एवं पत्र संख्या-5816/रा0आ0का0/कन्ट्रोलरूम पत्रा0/2024-25, दिनांक 03 जुलाई, 2024, के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा इन्टर्नशिप प्रोग्राम, राहत बाणी केन्द्र राहत एवं गुरूकुलम पर होने वाले व्यय तथा पूर्व स्वीकृत वेबसाईट डवलपमेन्ट एवं संचालन, फेमिली आईडी अथेन्टीकेशन, एन0आई0सी0 को क्लाउड सर्विस, आवश्यक मेन पावर हेतु रू0 1,33,36,000/- (रूपये एक करोड़ तैंतीस लाख छत्तीस हजार मात्र) की धनराशि निम्न विवरण/शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन राहत आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैः-

क्र0 स0	योजना का नाम	धनराशि
1	एन0आईसी एवं श्रीट्रान को क्लाउड एवं अन्य सर्विसेज तथा फैमिली आईडी अथॉन्टिकेशन हेतु धनराशि	रू0 84.16 लाख

	इंटर्नशिप प्रोग्राम पर होने वाला व्यय	रू0 6.00 लाख
2	स्टेट ईओसी के विस्तार हेतु राहत वाणी पर होने वाला व्यय	रू0 13.20 लाख
3	राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा संचालित राहत गुरूकुलम की ट्रेनिंग मॉड्यूल पर आने वाला व्यय	रू0 30.00 लाख
4		

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

(2) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

(3) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा व्यय का विवरण निर्धारित प्रारूप पर राहत आयुक्त की वेबसाइट https://rahat.up.nic.in पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-10-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समापन दिनांक 31 मार्च, 2025 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

(6) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(7) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये रू0 1,33,36,000/- (रूपये एक करोड़ तैंतीस लाख छत्तीस हजार मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-11-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से सामान्य व्यय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
Ram Kewal
Date: 23-07-2024 17:53:45

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या-1216(1)/एक-10-2024-33(3)/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज ।

2 स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन ।

3- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0 ।

4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

7- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-25/07/2024

प्रेषण संख्या:- 1216
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1216
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-4180-वरि0 वित्त एवं लेखाधिकारी- राहत आयुक्त सं0 , लखनऊ-01--	वर्तमान प्रगामी	13336000 33568680	13336000 33568680
	योग	वर्तमान प्रगामी	13336000 33568680	13336000 33568680

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ तैंतीस लाख छत्तीस हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तीन करोड़ पैंतीस लाख अड़सठ हजार छ: सौ अस्सी

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।